



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05042022-234847
CG-DL-E-05042022-234847

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1569]
No. 1569]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 5, 2022/चैत्र 15, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 5, 2022/CHAITRA 15, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2022

का.आ. 1638(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 21/2022-सीमाशुल्क (गै.टै.) दिनांक 31 मार्च 2022 जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का. आ. 1537(अ) दिनांक 31 मार्च 2022 में प्रकाशित किया गया था, के हिंदी संस्करण में :-

- (i) पृष्ठ 2 पर पंक्ति 15 में, 'सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क के पश्चात', 'जैसी भी स्थिति हो,' अन्तः स्थापित किया जाये;
- (ii) पृष्ठ 3 पर पंक्ति 16 में, '(i) (i)' के स्थान पर '(i)' पढ़ें;
- (iii) पृष्ठ 5 पर पंक्ति 7 में, 'I. I.' के स्थान पर 'I.' पढ़ें;
- (iv) पृष्ठ 5 पर पंक्ति 11 में, 'III. III.' के स्थान पर 'III.' पढ़ें;

[फा. सं. 450/72/2021-सीमा शुल्क -IV]

मनीष कुमार चौधरी, अवर सचिव

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2022

का.आ. 1639(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 24/2022 - सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 31 मार्च 2022 जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का. आ. 1540(अ) दिनांक 31 मार्च 2022 में प्रकाशित किया गया था, के हिंदी संस्करण में :-

- (i) पृष्ठ 19 पर, पंक्ति 20 में, '(vii)' के स्थान पर '(v)' पढ़ें;
- (ii) पृष्ठ 19 पर, पंक्ति 21 में, '(v)' के स्थान पर '(vi)' पढ़ें;
- (iii) पृष्ठ 19 पर, पंक्ति 21 के पश्चात्, नयी प्रविष्टि '(vii) आयुक्त सीमा शुल्क (लेखा परीक्षा), मुंबई' अन्तः स्थापित किया जाये;
- (iv) पृष्ठ 19 पर, पंक्ति 28 में, 'मुंबई- II' के स्थान पर 'न्हावा शेवा' पढ़ें;
- (v) पृष्ठ 21 पर, तालिका 2 पंक्ति 9 में, '(4)' के स्थान पर '(3)' पढ़ें;
- (vi) पृष्ठ 21 पर, तालिका 2 पंक्ति 11 में, '(i)' के स्थान पर '(ii)' पढ़ें;
- (vii) पृष्ठ 21 पर, तालिका 2 पंक्ति 12 में, '(ii)' के स्थान पर '(iii)' पढ़ें;
- (viii) पृष्ठ 21 पर, तालिका 2 पंक्ति 13 में, '(iii)' के स्थान पर '(iv)' पढ़ें;

[फा. सं. 450/72/2021-सीमा शुल्क -IV]

मनीष कुमार चौधरी, अवर सचिव

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2022

का.आ. 1640(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 28/2022-सीमाशुल्क (गै.टै.) दिनांक 31 मार्च 2022 जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का. आ. 1544(अ) दिनांक 31 मार्च 2022 में प्रकाशित किया गया था, के हिंदी संस्करण में :-

- (i) पृष्ठ 36 पर, पंक्ति 33 में, '(vi)' के स्थान पर '(v)' पढ़ें;
- (ii) पृष्ठ 36 पर, पंक्ति 36 में, '(vii)' के स्थान पर '(vi)' पढ़ें;
- (iii) पृष्ठ 36 पर, पंक्ति 36 में, 'सीमा शुल्क उपायुक्त' के स्थान पर '(vi) सीमा शुल्क उपायुक्त' पढ़ें;

[फा. सं. 450/72/2021-सीमा शुल्क -IV]

मनीष कुमार चौधरी, अवर सचिव

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2022

का.आ. 1641(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 29/2022-सीमाशुल्क (गै.टै.) दिनांक 31 मार्च 2022 जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 1545(अ) दिनांक 31 मार्च 2022 में प्रकाशित किया गया था, के हिंदी संस्करण में :-

- (i) पृष्ठ 38 पर, पंक्ति 19 में, 'करना जनहित में आवश्यक' के स्थान पर 'करना आवश्यक' पढ़ें;

- (ii) पृष्ठ 38 पर, पंक्ति 23 में, 'या' के स्थान पर 'और' पढ़ें;
- (iii) पृष्ठ 38 पर, पंक्ति 24 में, 'जारी किया' के स्थान पर 'दिया' पढ़ें;
- (iv) पृष्ठ 38 पर, पंक्ति 27 में, 'या' के स्थान पर 'और' पढ़ें;
- (v) पृष्ठ 38 पर, पंक्ति 37 में, 'के द्वारा' के स्थान पर 'को' पढ़ें;
- (vi) पृष्ठ 39 पर, पंक्ति 1 में, 'के द्वारा' के स्थान पर 'को' पढ़ें;
- (vii) पृष्ठ 39 पर, पंक्ति 3 में, 'के द्वारा' के स्थान पर 'को' पढ़ें;
- (viii) पृष्ठ 39 पर, पंक्ति 6 में, 'के द्वारा' के स्थान पर 'को' पढ़ें;
- (ix) पृष्ठ 39 पर, पंक्ति 8 में, 'के द्वारा' के स्थान पर 'को' पढ़ें;

[फा. सं. 450/72/2021-सीमा शुल्क -IV]

मनीष कुमार चौधरी, अवर सचिव